ऑन लाईन नं.RCMS2022/284

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 26/2022

श्री,विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अतुल कटारिया पुत्र श्री विनोद कटारिया —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—
   निवासी :— 173, जैन के पास, अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर।
   मै0 बेस्ट ब्रेकर्स, 15 लक्कड मण्डी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/52

निर्णय दिनांक : 05.04.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांकःएच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2022 को दोपहर बाद 3.30 पीएम पर **मै0** बेस्ट ब्रेकर्स, 15 लक्कड मण्डी, श्रीगंगानगर पर पहुचें। वहा अतुल कटारिया पुत्र श्री विनोद कटारिया निवासी वार्ड 173, जैन के पास, अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य खाद्य निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसैंस , जीएसटी रजिस्ट्रेशन तथा स्वयं तथा गवाह के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध **Namkeen (Atul-G)** के 50 पैकेट 40—400 ग्राम के रखे है के अमानक का शक होने पर 400 ग्राम के 4 पैकेट **Namkeen (Atul-G)** खाद्यकारोबारकर्ता श्री अतुल कटारिया को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री अतुल कटारिया को 480/— रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.RCMS2022/284

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अतुल कटारिया पुत्र श्री विनोद कटारिया, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री अतुल कटारिया को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Namkeen (Atul-G) 400** ग्राम के 8 पैकेटों को चार गत्ता डब्बों, प्रत्येक गत्ता डब्बे में 400 ग्राम के 2 पैकेट रखकर उन पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1536** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक **K-1536** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं विशाल बंसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री अतुल कटारिया ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/750/एक्ट/2022/750 दिनांक 05.07.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1536 Namkeen (Atul-G) अमानक स्तर** Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अतुल कटारिया पुत्र श्री विनोद कटारिया निवासी वार्ड 173, जैन के पास, अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Namkeen (Atul-G)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/52 तथा 58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह कि आवेदन की चरण संख्या 1 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, स्वीकार नहीं है।
2. यह कि आवेदन की चरण संख्या 2 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, स्वीकार नहीं है।
3. यह कि आवेदन की चरण संख्या 3 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, स्वीकार नहीं है। गवाहान के कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाये गये और न ही नमकीन अतुल जी के 50 पैकेट 400 ग्राम के रखे और नमकीन अतुल जी को चार नमूना भागों में अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया गया और न ही प्रार्थी को ...से नमूना की जांच करवाने की कोई सूचना दी गई और न ही प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।
4. यह कि आवेदन की चरण संख्या 4 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है स्वीकार नहीं है। जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो इस चरण में अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व झूठा प्रकरण बनाने के आशय से इस मद में मिथ्या कथन अंकित किये गये है।
5. यह कि आवेदन की चरण संख्या 5 में अंकित कथनों की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है।
6. यह कि आवेदन की चरण संख्या 6 के कथन जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के सामने मौके पर कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष करवाये गये। फर्द रिपोर्ट फर्जी होने के कारण स्वीकार नहीं है।
7. यह कि आवेदन की चरण संख्या 7 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है।
8. यह कि आवेदन की चरण संख्या 8 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, स्वीकार नहीं है। आवेदन पत्र की चरण संख्या 8 में केवल मात्र यह अंकित किया है कि खाद्य पदार्थ नमकीन अतुल जी का नमूना ...होना पाया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था। केवल मात्र नमकीन अतुल जी ही विक्रय किया जा रहा था जो कोई अपमिश्रित नहीं था और इससे किसी प्रकार की मनुष्य के जीवन को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी के विरूद्व केवल जुर्माने योग्य अपराध का आरोप लगाया गया है।
9. यह कि आवेदन की चरण संख्या 9 के कथन जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.RCMS2022/284

10. यह कि आवेदन की चरण संख्या 3 के कथन जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, स्वीकार नहीं है। जिसका विस्तृत विवरण ऊपर की चरणो में दिया जा चुका है।

अतः जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त फरमाया जावें और अगर न्यायालय प्रकरण में किसी स्तर पर यह पाता है कि प्रार्थी द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है तो प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगा कर पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Namkeen (Atul-G)** का सैम्पल **के–1536** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/750/एक्ट/2022/750 दिनांक 05.07.2022 द्वारा Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/52 तथा 58 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 तथा 58 में वर्णित है तथा धारा 52 तथा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में दोहराते हुए कहा है कि गवाहान के कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाये गये और न ही नमकीन अतुल जी के 50 पैकेट 400 ग्राम के रखे और नमकीन अतुल जी को चार नमूना भागों में अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया गया और न ही प्रार्थी को ...से नमूना की जांच करवाने की कोई सूचना दी गई और न ही प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।खाद्य पदार्थ नमकीन अतुल जी का नमूना ...होना पाया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था। केवल मात्र नमकीन अतुल जी ही विक्रय किया जा रहा था जो कोई अपमिश्रित नहीं था और इससे किसी प्रकार की मनुष्य के जीवन को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी के विरूद्व केवल जुर्माने योग्य अपराध का आरोप लगाया गया है। अतः प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगा कर पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Namkeen (Atul-G)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1536 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a) and 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Namkeen (Atul-G)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Namkeen (Atul-G)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर